भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2638
(जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 12 अगस्त**,** 2025/21 श्रावण**,** 1947 (शक) को दिया जाना है।)

कर प्रशासन सुधार आयोग का गठन

2638 डा. अजित माधवराव गोपछडे:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, कर प्रशासन में व्यावसायिकता लाने और उपभोक्ता सुलभता के मानकों को उन्नत करने के उद्देश्य से पुनः कर प्रशासन सुधार आयोग के गठन पर विचार कर रही है जिसके फलस्वरूप कार्यदक्षता तथा अनुपालन की दर में सुधार होगा;

(ख) क्या यह आयोग मौजूदा कर संग्रह प्रणाली में विद्यमान चुनौतियों या कमियों का समाधान करेगा;

(ग) वर्ष 2013 में स्थापित पिछले कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे; और

(घ) उन सुझावों में से कितने सुझाव लागू किये गये हैं तथा उपर्युक्त कर प्रशासन सुधार आयोग के सुझावों को लागू करने के क्या लाभ हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): राजस्व विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर प्रशासन की व्यावसायिकता और उपयोगकर्ता-अनुकूलता को बढ़ाने के लिए, सीबीडीटी/सीबीआईसी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विभिन्न स्पष्टीकरण परिपत्र और निर्देश जारी करता है, जो सार्वजनिक डोमेन पर आसानी से उपलब्ध हैं।

(ख): उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 06.04.2017 को प्रकाशित कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) की संस्तुतियों की स्थिति https://dor.gov.in/status-tarc-recommendations पर उपलब्ध है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में कर नीतियों और कर कानूनों के अनुप्रयोग की समीक्षा करने तथा कर प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुधारों के उपाय सुझाने के उद्देश्य से टीएआरसी का गठन किया गया था।डॉ. पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाले टीएआरसी ने 385 संस्तुतियां की हैं, जिनमें से 291 संस्तुतियां सीबीडीटी से संबंधित हैं और 253 सीबीआईसी से संबंधित हैं। 291 संस्तुतियों में से 86 संस्तुतियां सीबीडीटी द्वारा लागू की जा चुकी हैं। इसी प्रकार, सीबीआईसी की 253 संस्तुतियों में से 114 को स्वीकार कर लिया गया है और लागू किया गया है।

*****